सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को बंद करने का चलता है खेल

शिकायतों का निराकरण गंभीरता से नहीं किया जाता

नवभारत न्यूज

पन्ना, 24 अप्रैल। सीएम हेल्पलाईन में दर्ज होने वाली शिकायतों का निराकरण संतुष्टि के आधार पर किये जाने के निर्देश हैं। किन्तु कई शिकायतों का निराकरण गंभीरता से नहीं किया जाता है।

जब विभागीय अधिकारियों पर शिकायतों को बंद करने या कम करने का दबाब पड़ता है तो उनके द्वारा उन शिकायतों का या तो मनमानी तरीके से निराकरण करते हुये बिना संतुष्टि के आधार पर बंद कर दिया जाता है अथवा उन शिकायतों को दूसरे विभागों का बताकर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह से कई गंभीर शिकायतों की न तो जांच हो पाती और न ही उनका सही निराकरण हो पाता है। सामान्य शिकायतें ही निराकृत हो पाती हैं।

पीएमओ पोर्टल की शिकायतों का हाल- पीएमओ को की गई लिखित शिकायतें भी सीएम हेल्पलाईन में बिना शिकायतकर्ता की सहमति या उसे सूचित किये मनमानी तरीके से दर्ज कर ली जाती हैं। लिहाजा एक पंजीयन नम्बर पीएमओपीजी में दर्ज होता है जिसकी सूचना शिकायतकर्ता को भेजी जाती है। जबकि यहां दोबारा मनमानी पंजीयन सीएम हेल्पलाईन में कर लिया जाता है।

निराकरण करने वाले अधिकारी पीएमओ पोर्टल में दर्ज लिखित शिकायतों को न तो खोल पाते और न ही उन्हें इसके लिये कोई जानकारी ही होती है। वहीं सीएम हेल्पलाईन भोपाल से मानीटरिंग करने वाले कर्मचारियों द्वारा भी मनमानी तरीके से आवेदकों से पूंछा जाता है कि आपने सीएम हेल्पलाईन में शिकायत दर्ज करवाई हैं। जबकि वह सीएम हेल्पलाईन में कोई शिकायत दर्ज नही करवाता। उसकी शिकायत पीएमओ पोर्टल में दर्ज रहती है। इस तरह की शिकायतों का निराकरण गंभीरता से नही किया जाता है। पीएमओ को की गई कई शिकायतों को सीएम हेल्पलाईन में दर्ज करते समय उसका विषय ही बदल दिया जाता है।

पीएमओ को की गई शिकायतों में पीएमओ पोर्टल में पूरी शिकायत एवं संलग्न दस्तावेज भी अपलोड किये जाते हैं। किन्तु वही शिकायत जब सीएम हेल्पलाईन में दर्ज हो जाती है तो लिखित शिकायत एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेज गायब हो जाते हैं। लिखित शिकायत मौखिक सूचना पर आधारित शिकायत बन जाती है।

शिकायतों की गुणवत्ता पर सवाल

सीएम हेल्पलाईन की ही शिकायतों के निराकरण के लिये जिलों में गुणवत्ता का पूरी तरह से अभाव देखा जाता है। सभी अधिकारियों का एक ही लक्ष्य रहता है कि शिकायतों को कैसे बंद किया जाय। दिन भर अधिकारियों का फोकस अधीनस्थ अधिकारियों पर यही रहता है कि कितनी शिकायतें बंद हुई? जबकि शिकायतें कई तरह की होती है। कई शिकायतें जो अभिलेखों पर आधारित होती हैं, वहां टीम गठित कर जांच करने की आवश्यकता होती है। किन्तु सीएम हेल्पलाईन में शिकायतों का निराकरण गुणवत्ता के साथ नहीं किया जाता। यही कारण है कि कई लोग शिकायते करने के बाद भी संतोषजनक निराकरण नहीं होने पर भटकते रहते हैं। अथवा बार-बार शिकायतें करते रहते हैं। निराकरण के लिये जिम्मेदार अधिकारी गोलमोल जबाब प्रस्तुत करने में भी आगे रहते हैं। कई बार समाधान के नाम पर इस तरह के जबाब दर्ज कर दिये जाते हैं जिससे शिकायत करने वाले को कोई लाभ नहीं होता। उसकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पाता।

कुएं में तेंदुआ, साथ में 'मेहमान' बछड़ा, फिर हुआ दोस्ती वाला रेस्क्यू

नवभारत न्यूज

पन्ना, 24 अप्रैल। दक्षिण पन्ना वनमण्डल के अंतर्गत रैपुरा रेंज की अलौनी बीट के पास ग्राम मक्केपाला में एक तेंदुए के रेस्क्यू का कार्य वन विभाग द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। सूचना प्राप्त होते ही वन अमले ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थल को सुरक्षित कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया।

विभाग की इस रणनीति के परिणामस्वरूप तेंदुआ सुरक्षित रूप से बाहर निकलकर जंगल की दिशा में चला गया, जिससे किसी भी प्रकार के मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। इस रेस्क्यू की एक विशेष बात यह भी रही कि तेंदुए के साथ एक बछड़ा भी कुएं में गिर गया था। वन विभाग ने न केवल तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकलने में सहायता की, बल्कि बछड़े को भी सकुशल बचा लिया। इस प्रकार दोनों ही जीवों को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित किया गया, जो वन्यजीव प्रबंधन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

रेस्क्यू के दौरान एक रोचक व्यवहार भी देखने को मिला, जिसमें बछड़ा समय-समय पर तेंदुए के पास जाकर उसे चाटता एवं उसके साथ सहज रूप से रहता देखा गया। आश्चर्यजनक रूप से तेंदुए ने भी बछड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और पूरी अवधि में आक्रामक व्यवहार नहीं दिखाया। यह घटना वन्यजीवों के व्यवहार के एक अनोखे पक्ष को दर्शाती है। इस अभियान में नवागत उपवनमण्डल अधिकारी सुश्री रचना शर्मा, प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक अंकुर गुप्ता, रैपुरा रेंज अधिकारी विवेक जैन एवं रैपुरा वन परिक्षेत्र के समस्त वन अमले की सराहनीय भूमिका रही।

पॉलीटेक्निक पन्ना में छात्रों को सिखाए साइबर सुरक्षा के गुर

नवभारत न्यूज

पन्ना, 24 अप्रैल। स्थानीय शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय पन्ना में नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के अंतर्गत डिजिटल साक्षरता, साइबर और कानूनी जागरूकता पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को वर्तमान दौर की तकनीकी चुनौतियों और डिजिटल ठगी से सुरक्षित रहने के तरीकों के प्रति सचेत करना था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित साइबर सेल पन्ना के प्रधान आरक्षक आशीष अवस्थी और धर्मेंद्र सिंह राजावत ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लोन ऐप, सोशल मीडिया के जरिए होने वाली ठगी और फिशिंग लिंक जैसे गंभीर खतरों पर विस्तार से चर्चा की।

विशेषज्ञों ने विशेष रूप से आगाह किया कि केवाईसी अपडेट या किसी अनजान लिंक के प्रलोभन में आकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी और ओटीपी कभी साझा न करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि साइबर अपराध का शिकार होने पर घबराने के बजाय तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 या आधिकारिक पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। सुरक्षा उपायों पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने बताया कि केवल आधिकारिक ऐप का उपयोग करना, सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग्स को मजबूत रखना और डिवाइस में अपडेटेड एंटीवायरस का प्रयोग करना आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता है।

संस्था के प्राचार्य उत्कर्ष कुमार श्रीवास्तव ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल युग में शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ साइबर सुरक्षा की जानकारी होना प्रत्येक छात्र के लिए अनिवार्य है। कार्यक्रम के अंत में कंप्यूटर साइंस की व्याख्याता श्रीमती वर्षा प्रजापति ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

विश्व मलेरिया दिवस पर जारी की एडवाइजरी

मलेरिया मुक्ति का लिया संकल्प

नवभारत न्यूज

पन्ना, 24 अप्रैल। जिले में मलेरिया के प्रति जन-जागरूकता फैलाने और इस संक्रामक रोग पर प्रभावी नियंत्रण पाने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।

आगामी 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर इस वर्ष की विशेष थीम मलेरिया समाप्ति के लिये संकल्पित अब हम कर सकते हैं, अब हमें करना ही होगा, के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.पी. तिवारी ने आम जनता से अपील की है कि वे मलेरिया से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। उन्होंने बताया कि मलेरिया एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसमें मरीज को ठंड लगकर तेज बुखार आता है और फिर पसीना आकर उतर जाता है, जिसके साथ ही सिरदर्द, उल्टी और शारीरिक कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जिला मलेरिया अधिकारी ने इस बीमारी के प्रसार और रोकथाम पर विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि मलेरिया मुख्य रूप से संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर ठहरे हुए पानी में अंडे देते हैं, जो एक सप्ताह के भीतर वयस्क मच्छर बन जाते हैं।

प्रशासन ने नागरिकों को हिदायत दी है कि वे अपने घरों के आसपास पानी जमा न होने दें और गड्ढों को मिट्टी से भर दें। यदि पानी की निकासी संभव न हो, तो उस पर जले हुए इंजन ऑयल या केरोसिन का छिड़काव करें ताकि मच्छरों का पनपना रुक सके। इसके साथ ही सोते समय अनिवार्य रूप से मच्छरदानी का उपयोग करने, खिड़की-दरवाजों पर जाली लगवाने और शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का बुखार होने पर तत्काल रक्त की जांच करानी चाहिए। जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और आशा कार्यकर्ताओं के पास मलेरिया की जांच और उपचार पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में जिले में मलेरिया के कुल 27 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें सर्वाधिक 22 मामले पवई विकासखंड से सामने आए थे, जबकि अजयगढ़ व अमानगंज में 2-2 और देवेंद्रनगर में 1 केस मिला था।

गर्मी का कहर, पारा 43 डिग्री के पार, दोपहर में सड़कों पर पसरा सन्नाटा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 24 अप्रैल। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तापमान लगातार बढ़ते हुए 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में लू जैसे हालात बन गए हैं। सुबह 10 बजे के बाद ही सूरज की तपिश इतनी तेज हो जाती है कि लोग घरों से निकलने से कतराने लगे हैं।

दोपहर के समय तो सड़कों पर लगभग सन्नाटा पसरा रहता है, मानो शहर थम सा गया हो। भीषण गर्मी का असर सबसे अधिक दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और खुले में काम करने वाले लोगों पर देखने को मिल रहा है। काम की मजबूरी में ये लोग तेज धूप में निकल तो रहे हैं लेकिन गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप के कारण उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। कई जगहों पर लोगों को चक्कर आने और डिहाइड्रेशन की शिकायत भी सामने आ रही है। शहर के प्रमुख बाजारों और चौराहों पर दोपहर के समय सामान्य दिनों की तुलना में बेहद कम भीड़ नजर आ रही है। दुकानदार भी गर्मी के चलते अपने प्रतिष्ठान देर से खोल रहे हैं और दोपहर में जल्दी बंद कर रहे हैं। सड़क किनारे लगने वाले ठेले और छोटे व्यवसाय भी इस भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। आम दिनों में जहां रौनक रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी का असर केवल दिन तक ही सीमित नहीं है बल्कि शाम होने के बाद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। सूर्यास्त के बाद भी गर्म हवाएं चलती रहती हैं, जिससे वातावरण में उमस और बेचैनी बनी रहती है। रात के समय भी तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं हो रही है, जिसके कारण लोगों की नींद प्रभावित हो रही है।

सतर्क रहकर ही बचाव संभव - अप्रैल माह में ही पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया है। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में लापरवाही गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है, इसलिए बचाव बेहद जरूरी है। डॉक्टरों के अनुसार लू से बचने के लिए दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सिर को ढक्कर निकलें और हल्के, सूती कपड़े पहनें। शरीर में पानी की कमी न हो इसके लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी, छाछ और ओआरएस का सेवन करना चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

बिना जरूरत न निकलें बाहर

प्रशासन की ओर से भी लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है। हालांकि बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को स्वयं भी सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मिनी ट्रक चोरी की घटना का 48 घंटे में हुआ खुलासा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 24 अप्रैल। पन्ना जिले की गुनौर पुलिस ने ट्रक चोरी की एक सनसनीखेज वारदात का महज दो दिनों के भीतर खुलासा करते हुए दो आरोपियों को दबोचने में सफलता हासिल की है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया टाटा 407 मिनी ट्रक और उसमें लदा करीब 70 क्विंटल अनाज बरामद कर लिया है, जिसकी कुल कीमत 6 लाख 65 हजार रुपये आंकी गई है। पकड़े गए आरोपियों में से एक पुराना हिस्ट्रीशीटर है, जिस पर जिले के विभिन्न थानों में करीब 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस द्वारा बताये गये घटनाक्रम के अनुसार, गुनौर निवासी ट्रांसपोर्टर प्रशांत अवधिया ने बीती 19 अप्रैल की रात अपना मिनी ट्रक अनाज भरकर अहिंसा चौक पर खड़ा किया था, जिसे अगली सुबह अज्ञात चोरों ने पार कर दिया था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन में गठित विशेष टीम को पता चला कि सतना के ऊँचेहरा क्षेत्र में दो संदिग्ध व्यक्ति चोरी के माल को खपाने की फिराक में हैं। खबर मिलते ही गुनौर पुलिस ने घेराबंदी की और बरौली चौराहे के पास से अनुज उर्फ वीरू रघुवंशी और रफीक उल्ला खान को हिरासत में ले लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने उनके पास से 140 बोरी अनाज और ट्रक बरामद कर लिया है। इस पूरी कार्यवाही में उपनिरीक्षक अंकित मिश्रा और अमानगंज थाना प्रभारी रवि जादौन सहित सायबर टीम की मुख्य भूमिका रही।

भाइयों की हत्या और मां को घायल करने वाले पिता-पुत्र दोषी करार

27 अप्रैल को होगी सजा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 24 अप्रैल। जिले के ग्राम गोल्डी मुडिया में वर्ष 2023 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए मुख्य आरोपी चरन सिंह और उसके पुत्र शुभम सिंह को हत्या का दोषी पाया है।

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र मेश्राम की अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पिता-पुत्र को धारा 302, 307 भारतीय दंड संहिता एवं आयुध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। इस जघन्य वारदात में आरोपी चरन सिंह ने अपने ही दो सगे भाइयों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी और बीच-बचाव करने आई अपनी मां को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटनाक्रम के अनुसार 27 मई 2023 की रात मृतक नरेन्द्र सिंह के पुत्र अभिराज का जन्मदिन मनाया जा रहा था। भूमि विवाद के चलते परिवार के ही भाई चरन सिंह को इस समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर वह अपने पुत्र शुभम के साथ वहां पहुंचा। पुरानी रंजिश और बुलावे न मिलने की खुन्नस में आरोपियों ने पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में नरेन्द्र सिंह और महेन्द्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां फूलाबाई हाथ में गोली लगने से घायल हो गईं। पुलिस थाना देवेन्द्रनगर द्वारा दर्ज इस मामले को शासन ने जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा था। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने पैरवी की। सहायक मीडिया प्रभारी रोहित गुप्ता ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित माना है। अब सभी की निगाहें 27 अप्रैल पर टिकी हैं, जब न्यायालय दोषियों को उनके इस संगीन अपराध के लिए दंड की अवधि सुनाएगा।

नरवाई जलाने की घटना पर जांच दल ने मौका स्थल का किया निरीक्षण

पन्ना, 24 अप्रैल। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के दल द्वारा गुनौर तहसील के ग्राम ककरहटा में नरवाई जलाने की घटना पर मौका स्थल पहुंचकर जांच की गई एवं पंचनामा उपरांत संयुक्त जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया। विभाग के उप संचालक ओ.पी. तिवारी ने बताया कि ककरहटा में 24 अप्रैल को खेतों में गेहूं व अन्य रबी फसलों की कटाई पश्चात नरवाई जलाने की सूचना प्राप्त हुई थी। कृषि विस्तार अधिकारी सिली गुनौर पूजा शर्मा एवं हल्का पटवारी के संयुक्त दल द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई।

ऑटो स्टैण्ड बनवाए जाने को लेकर ई-रिक्शा ऑटो चालकों की बैठक हुई

नवभारत न्यूज

पन्ना, 24 अप्रैल। शहर के मध्य स्थित बस स्टेण्ड में कोई भी ई-रिक्शा, ऑटो स्टेण्ड न होने से इन आटो रिक्शा चालकों द्वारा अपने अपने रिक्शों को कहीं भी पार्क कर देने से आये दिन ट्राफिक जाम की स्थिति भी निर्मित होती है ।

सुगम यातायात व व्यवस्थित पार्किंग को ध्यान में रखते हुये एक व्यवस्थित ऑटो स्टैण्ड बनाये जाने के लेकर आज शहर के ई-रिक्शा, ऑटो चालको को थाना यातायात बुलाकर बैठक आयोजित की गयी । जिसमें आटो /ई-रिक्शा चालकों द्वारा ई-रिक्शा, ऑटो स्टेण्ड बनवाये जाने को लेकर उपयुक्त स्थान का चयन कर अपना सुझाव सांझा करने का आग्रह किया गया,जिसमें आटो /ई-रिक्शा चालकों की अपनी राय पर आशीष लांज के पास तिराहा पर ई-रिक्शा स्टेण्ड बनाये जाने का प्रस्ताव रखा गया, यह प्रस्ताव आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में रखा गया, जिसमें जिला कलेक्टर पन्ना द्वारा आगे की कार्यवाही तय करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

यह सभी ई-रिक्शा, ऑटो चालकों की सहमति से यह स्थान चिन्हित किया गया है । आयोजित बैठक के अंत में सभी ई-रिक्शा, ऑटो चालकों को राहवीर योजना के वारे में विस्तृत जानकारी दी गयी जाकर बैठक का समापन किया गया । ई-रिक्शा, ऑटो चालकों की इस बैठक को लेकर थाना प्रभारी निरीक्षक नीलम लक्षकार का कहना है कि, एक निश्चित स्टैन्ड बनने से ट्रैफिक्र सुधरेगा आटो वालों की स्थायी जगह मिलेगी,अभी बस स्टेण्ड पर ई-रिक्शा स्टेण्ड न होने से ई-रिक्शा चालक यहां-वहां दुकानों के सामने खड़े होकर जाम लगाते हैं,जिससे यातायात बाधित होता है साथ ही बस सवारी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ।

अमले की मुस्तैदी से टला बड़ा वनाग्नि संकट

नवभारत न्यूज

पन्ना, 24 अप्रैल। भीषण गर्मी के बीच पन्ना की बेशकीमती वन संपदा पर मंडराया संकट वन विभाग की सजगता से टल गया है।

दक्षिण पन्ना वनमंडल के रैपुरा परिक्षेत्र में वनाग्नि की एक बड़ी चुनौती सामने आई, जब पड़ोसी दमोह वनमंडल की ओर से धधकती हुई आग तेजी से रैपुरा की सीमा की ओर बढ़ने लगी। बीट सगौनी में फायर पॉइंट अलर्ट मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया, लेकिन परिक्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार जैन के नेतृत्व में टीम ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए आग को अपनी सीमा में प्रवेश करने से पहले ही नियंत्रित कर लिया। जब दमोह जिले के सीमावर्ती जंगलों से आग की लपटें दक्षिण पन्ना की ओर बढ़ीं, तो वे फायरलाइन के सुरक्षा चक्र को पार नहीं कर सकीं। मैदानी अमले ने मौके पर डटकर आग की दिशा बदली और उसे घने जंगल में फैलने से रोक दिया। इस महत्वपूर्ण अभियान में परिक्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार जैन के साथ परिक्षेत्र सहायक घुटेरी रंजना नागर, वनरक्षक रजनीश चौरसिया, अरविंद सिंह, धीरेंद्र सिंह और शुभम सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई।

शासन की गाइडलाइन बेअसर, नहीं हट सके कई वर्षों से पदस्थ वार्डन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 24 अप्रैल। राज्य शिक्षा केन्द्र ने वर्ष 2024-25 की जारी गाईडलाईन में भी कस्तुरबागांधी बालिक विद्यालय एवं नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालिका छात्रावासों में कई वर्षों से पदस्थ वार्डनों को हटाने के लिये निर्देशित क्रमांक किया था।

जारी पत्र 3667 भोपाल, 7 अगस्त 2024 में सभी जिलों के कलेक्टरों को संबोधित करते हुये छात्रावासों के संचालन के संबंध में व्यापक निर्देश दिये गये थे, जहां पैरा 4.2 एवं 4.3 में एवं तीन साल पूर्ण करने वाली एवं पांच वर्षों से अधिक समय से पदस्थ वार्डनों को पद से तत्काल पृथक करने की कार्रवाही किये जाने को कहा गया था।

प्रति छात्रावास प्रतिवर्ष 60-70 लाख का बजट हजम - इन छात्रावासों में बताया जाता है कि प्रतिवर्ष 60-70 लाख का बजट आ रहा है और खर्च हो रहा है। किन्तु वहां न तो सही सलामत स्थिति में पलंग मिलेंगे, न रजाई गद्दे और न ही कोई अन्य सामग्री। भवन भी यदि उठ जाता वह भी गायब हो जाता किन्तु वह उठ नहीं सकता। छात्राओं का प्रवेश एवं उन्हें मिलने वाले भोजन को लेकर भी शिकायतें हैं। खरीदी की पंजियों में लाखों का खर्च जरूर दर्ज हो सकता है। भण्डार क्रय निमयों के विपरीत खरीदी कर चहेती फर्मों से फर्जी बिलों के माध्यम से खर्च का हिसाब भी बनाया जा सकता है। शिक्षण व्यवस्था के नाम पर भी इसी तरह से राशि खर्च हो सकती है। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? जिलों में पदस्थ विभागीय अधिकरियों ने क्या किया? आदेश के परिपालन में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? राज्य शिक्षा केन्द्र को पालन प्रतिवेदन क्यों प्रेषित नहीं किया गया? महत्वपूर्ण आदेशों को बस्तों में दबा कर क्यों रख दिया गया? आखिर कहीं न कहीं से तो पता किया जाना चाहिये। किन्तु वास्तविकता यही है कि इन छात्रावासों में जांच व निरीक्षण करने से भी अधिकारियों को घबराते हैं कि पता नहीं कब किसके खिलाफ कौन सी वार्डन फर्जी आरोप लगाकर जेल पहुंचा दे और बदनाम कर दे। इसलिये वसूली और बंदरबांट ही विकल्प है जिसके आधार पर कागजों में संचालन हो रहा है।

क्या कहता है पैरा 4.2 एवं 4.3

राज्य शिक्षा केन्द्र से जारी दिशा निर्देश 2024-25 के अनुसार पैरा 4.2 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य शिक्षा केन्द्र के अनुसार तीन वर्ष पूर्ण करने वाली वार्डन को वार्डन के पद से तत्काल पृथक करने की कार्रवाई की से जाए। वहीं पैरा 4.3 कहता है कि राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक 8067 दिनांक 17.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार छात्रावासों में संविदा पर पदस्थ सहायक वार्डनों को एक ही स्थान पर 5 वर्ष से अधिक हो गये हैं, उन्हें जिले के अंदर पदस्थापना परिवर्तन जिला नियुक्ति समिति के माध्यम की जाय। दिशा निर्देश के ये दोनो पैरा से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में शिक्षा केन्द्र वार्डन एवं सहायक वार्डन दोनों को हटाने का निर्देश दे रहा है। इसके बाद भी जिला स्तर से कोई कार्रवाई नही हो रही है।

राज्य शिक्षा केन्द्र क्या केवल निर्देश ही जारी करता रहेगा ?

यहां सवाल तो यह भी है कि क्या राज्य शिक्षा केन्द्र कस्तुरबागांधी बालिका छात्रावासों एवं विद्यालयों को लेकर केवल दिशा निर्देश ही जारी करता रहेगा। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह भी देखे कि जो आदेश या निर्देश जारी किये गये हैं उनका कितना पालन हो रहा है। छात्रावासों के वार्डनों को हटाने के लिये जो आदेश 2017 में जारी हुये उनका कितना पालन हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? जिलों में पदस्थ विभागीय अधिकरियों ने क्या किया? आदेश के परिपालन में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? राज्य शिक्षा केन्द्र को पालन प्रतिवेदन क्यों प्रेषित नहीं किया गया? महत्वपूर्ण आदेशों को बस्तों में दबा कर क्यों रख दिया गया? आखिर कहीं न कहीं से तो पता किया जाना चाहिये। किन्तु ऐसा लगता है कि राज्य शिक्षा केन्द्र भी कस्तुरबा गांधी छात्रावासों के मामले में खानापूर्ति करके मौन हो जाता है।